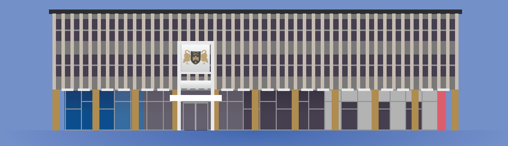

आपकी स्थानीय संसद के बारे में

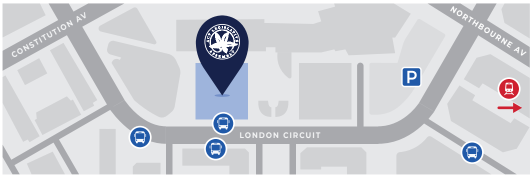

ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र (एसीटी) (ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ACT) के लिए विधान सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) ACT की संसद है और सिविक में 196 लंदन सर्किट में स्थित है।

यह विधान सभा ACT (जिसमें कैनबरा भी शामिल है) के लिए कानून बनाती है। यह संघीय संसद (फ़ेडरल पार्लियामेंट) से अलग है जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कानून बनाती है।

विधान सभा, विधान सभा के 25 सदस्यों से मिलकर (विधायकों-MLAs) बनी है जो 5 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

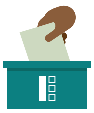

चुनाव हर 4 साल में होते हैं और 'चुनाव एसीटी' (Elections ACT) नामक एक स्वतंत्र समूह द्वारा आयोजित किए जाते हैं। मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सख़्त नियम हैं।

चुनाव के बाद, विधान सभा एक विधायक (MLA) को मुख्यमंत्री चुनती है। मुख्यमंत्री अन्य विधायकों (MLAs) को ACT सरकार में मंत्री नियुक्त करता है/करती है।

यह क्या करता है?

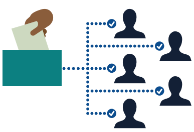

सदस्यों को मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। सभी 25 सदस्यों को हर 4 साल में चुनाव का सामना करना पड़ता है, अत: मतदाताओं के पास अंतिम शक्ति होती है। मतदाताओं की ओर से, सदस्य कानूनों पर विचार करते हैं और उन्हें पारित करते हैं जो ACT को एक बेहतर स्थान बनाते हैं।

विधान सभा ACT सरकार के कामों की सूक्ष्म जाँच करती है और ACT सरकार को उसके कामों के लिए जवाबदेह रखती है। इसमें हर बैठक के दिन मंत्रियों से मौक़े पर ही सवाल पूछना, जाँच-पड़ताल करना और सरकार के वार्षिक बजट (प्रस्तावित खर्च) की समीक्षा करना शामिल है।

समितियाँ विधायकों (MLAs) के छोटे समूह होते हैं जो मुद्दों पर विस्तार से विचार करते हैं। विधान सभा में जाने वाले प्रत्येक बिल (कानून का मसौदा) की जाँच यह जाँचने के लिए की जाती है कि क्या यह मानवाधिकार अधिनियम का अनुपालन करता है और अच्छी तरह से लिखा गया है। समितियाँ समसामयिक मुद्दों की भी जाँच-पड़ताल कर सकती हैं और अक्सर जनता से टिप्पणी करने के लिए कह सकती हैं।

आप कैसे शामिल हो सकते हैं?

सुनिश्चित करें कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। ऐसा करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना चाहिए। नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है।

aec.gov.au/enrol

ACT में लोकतंत्र में भाग लेने के अन्य बहुत से तरीके हैं। इसमें भाग लेने के लिए आपको नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है!

आप समिति के संबंध में अपनी बात लिखित रूप में दे सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि समितियाँ क्या कर रही हैं।

आप अपने समुदाय के किसी मुद्दे के बारे में एक याचिका (पिटीशन) शुरू कर सकते हैं या उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आप हमारे निःशुल्क सार्वजनिक दौरे में शामिल हो सकते हैं या किसी शिक्षा-कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

आप विधान सभा के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

आप विधान सभा की बैठक के दिन उसे देखने जा सकते हैं और विधान सभा की कार्यवाही देख सकते हैं।

आप हमारी वेबसाइट पर 2011 से अब तक हुए सभी वाद-विवादों के वीडियो देख सकते हैं।